

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश


निविदा आमंत्रित सूचना

संचालनालय, कोष एवं लेखा म.प्र., पर्यावास भवन, भोपाल एवं कलेक्टर कार्यालय परिसर ग्वालियर में संस्थापित क्रमशः 3X160 KVA ग्रीबज काटन मेक एवं 2X200 KVA किरलोस्कर मेक डी.जी. सेट के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु पंजीकृत फर्म से निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्तें निम्नानुसार होंगी:-

1. संचालनालय कोष एवं लेखा, म.प्र. पर्यावास भवन भोपाल एवं कलेक्टर कार्यालय परिसर ग्वालियर में संस्थापित 5 डी.जी. सेट्स का तकनीकी विवरण संलग्न परिशिष्ट-"अ" अनुसार है।
2. डी.जी. सेट्स के रख-रखाव का तीन वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। (कायदेशि निविदा के साथ संलग्न करे)
3. फर्म को GST हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है।
4. निर्माता कंपनी से back to back support का प्रमाण पत्र।
5. फर्म को निविदा के साथ परिशिष्ट-"ब" में संलग्न प्रपत्र में जानकारी भरकर देना अनिवार्य है।
6. रख-रखाव / मरम्मत के लिए निविदा में प्रस्तुत दरें समस्त टैक्स सहित होंगी, जिसमें अनुरक्षण में उपयोग होने वाले कन्ज्यूमेबल गैस, ऑयल, फिल्टर, एलाइमेंट, बैट्री, वायरिंग ग्रीस, कूलेन्ट, गैस किट, पम्प मोटर सेट, केबलिंग एवं पाईप लाईन इत्यादि सम्मिलित होंगे। फर्म द्वारा डी.जी. सेट्स की प्रतिमाह सर्विस 15 दिवस या माह में दो बार Preventive Maintenance की जाएगी एवं किये गये कार्य का सत्यापन अधिकृत अधिकारी से कराया जाएगा।
7. निविदा दरें परिशिष्ट-"अ" पर दिये गये प्रपत्र में ही दी जायेगी, दरों का योग कुल योग के रूप में मान्य किया जाएगा। निविदा की स्वीकृति कुल योग के आधार पर की जाएगी।
8. अनुरक्षण कार्य में संपूर्ण अनुरक्षण OEM के Operating Instruction Manual के निर्देशों के अनुरूप संपादित किया जायेगा। निर्धारित मानकों के अनुसार लुब्रिकेंट आयल पुराना प्रतिस्थापित कर नया प्रदाय होगा एवं फिल्टर एलीमेंट आवश्यकतानुसार बदला जायेगा। होज, क्लेम्स तथा बाह्य बोल्ट की जांच की जायेगी, बेल्ट टेंशन की जांच की जाएगी एवं आवश्यकतानुसार बेल्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा। कन्ट्रोल पैनल एवं ई.पी.यू. के टर्मिनल, इंजिन नियर कैप जैसे अनुरक्षण संबंधी समस्त कार्य संपादित करने होंगे। ई.पी.यू. के सुचारू संचालन एवं लीकेज की जांच के साथ-साथ इंजिन परफार्मेंस पैरामीटर को रिकार्ड किया जाना होगा।
9. फर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि डी.जी. सेट निर्वाध रूप से कार्य करें।
10. डी.जी. सेट्स के किसी भी समय आकस्मिक खराब होने की अवस्था में संबंधित की जवाबदारी होगी कि वह मरम्मत कार्य कॉल लॉग होने के (शासकीय अवकाश के दिनों तथा कार्यालयीन समय के पश्चात् भी) 30 मिनट के अंदर प्रारंभ करेंगे। 30 मिनट से अधिक विलंब के लिए रू. 1,000/- प्रतिघंटा प्रति डी.जी. सेट की दर से पेनाल्टी वसूली जाएगी।

11. यदि कॉल लॉग करने के 4 घंटे के अंदर सुधार कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो संचालनालय को यह अधिकार होगा कि वह अन्य एजेंसी से कार्य संपादित कराये, तथा ऐसे कराये गये कार्य पर हुआ व्यय निविदाकार से वसूल किया जाएगा।
12. डी.जी. सेट्स की मरम्मत कार्य हेतु आवश्यक पार्ट्स की व्यवस्था संबंधित फर्म को स्वयं करनी होगी, जिसका भुगतान कंपनी की दर सूची के अनुसार संचालनालय द्वारा पृथक से किया जाएगा। पार्ट्स कंपनी की दर सूची द्वारा अनुशंसित मॉडल मेक के अनुसार ओरिजनल लगाने होंगे।
13. एक बार अनुबंध होने के उपरांत उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने हेतु फर्म बाध्य होगी। कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में कभी भी किसी भी समय एक माह के नोटिस पर अनुबंध समाप्त किये जाने का अधिकार आयुक्त, कोष एवं लेखा के पास सुरक्षित रहेगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय आयुक्त, कोष एवं लेखा के पास सुरक्षित रहेगा। अन्यथा स्थिति न्यायालय क्षेत्र भोपाल रहेगा।
15. फर्म को टेलीफोन कॉल पर कॉल लॉग कराने की सुविधा देनी होगी एवं इस हेतु दूरभाष क्रमांक देना होगा।
16. चयनित फर्म को अनुरक्षण का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा। फर्म को मासिक रूप से नियमित अनुरक्षण किया जाना होगा जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही त्रैमासिक भुगतान किया जाएगा।
17. चयनित फर्म को प्रत्येक डी.जी. सेट की लॉग बुक संधारित करनी होगी जिसमें समय-समय पर की गई शिकायत एवं निराकरण की अवधि अंकित होगी तथा शिकायत अनुसार कार्य पूर्ण होने पर अधिकृत अधिकारी से पुष्टि कर हस्ताक्षर कराने होंगे।
18. चयनित फर्म को अनुबंध मूल्य की 10 प्रतिशत राशि की बैंक परफार्मेंस गारंटी जमा करना अनिवार्य होगा।
19. चयनित फर्म द्वारा निविदा अवधि के मध्य कार्य करने में असमर्थता बताने अथवा फर्म द्वारा डी.जी. सेट को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में उसके द्वारा जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। उपरोक्त शर्तों के अनुसार फर्म को अमानत राशि के रूप में रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) की राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट /बैंकर चेक आयुक्त, कोष एवं लेखा के नाम से जमा कराना होगा।


अपर संचालक
कोष एवं लेखा

परिशिष्ट -अ
डी.जी. सेट अनुरक्षण हेतु दरें

स.क्र.	विवरण	क्षमता	निर्माता /सप्लायर कंपनी	संख्या	निविदा दर प्रति नग	कुल निविदा राशि
01	3X160 KVA ग्रीव्ज काटन मेक डी.जी. सेट	380/400 425	ग्रीव्ज काटन मेक	03	रु.	रु.
02	2X200 KVA किरलोस्कर	360	ग्रीव्ज काटन मेक	02	रु.	रु.

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

निविदाकर्ता का नाम

दिनांक

मोबाईल नंबर

परिशिष्ट-ब

फर्म/ संस्था का संपर्क विवरण:-

पता	
दूरभाष क्रमांक/ फेक्स क्रमांक	
ई-मेल आई.डी.	

फर्म/ संस्था का बैंक खाता विवरण:-

बैंक का नाम	
ब्रांच का नाम	
ब्रांच का पता	
नगर/ शहर	
ब्रांच का IFSC कोड	
MICR No.	
खाता क्रमांक	
खाते का प्रकार	

अन्य विवरण

पेन क्रमांक (PAN No.)	
जी.एस.टी. क्रमांक (GSTIN)	

हस्ताक्षर